ई-दोपहिया पर पांच हजार रुपये कार पर एक लाख की सब्सिडी

योगी सरकार 2,56,400 इलेक्ट्रिक वाहनों पर देगी सब्सिडी

जागरण संवाददाता, लखनऊ : योगी सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पर सीधी सब्सिडी देगी। प्रदेश सरकार ईवी की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए एक वर्ष में 2,56,400 ईवी की खरीद पर सीधी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। छूट में हर तरह के वाहनों दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया, ई-बस और ई-गुड्स कैरियर आदि को शामिल किया गया है। सभी को मिलने वाली छूट की दरें भी अलग हैं। वाहनों पर सब्सिडी अधिसूचना जारी होने से एक वर्ष यानी दो मार्च 2024 तक मिलेगी।

प्रदेश के औद्योगिक विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए नियमावली जारी कर दी है। इनमें सबसे अधिक दो पहिया वाहनों को सब्सिडी मिलेगी और प्रति वाहन खरीद पर पांच हजार रुपये की छूट है। वहीं कारों के लिए एक लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। आटो के लिए 75 हजार रुपये की अधिक सहायता दी जाएगी। ईवी वाहनों की बिक्री करने वाले डीलरों को प्रोत्साहन योजना अपनाने के लिए परिवहन विभाग को नोडल विभाग या उसकी ओर से नामित एजेंसी को तय किया गया है। सब्सिडी सिंगल आनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से मूल्यांकित करके वितरित की जाएगी। प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, ताकि पर्यावरण दुरुस्त रहे और लोगों को आवागमन में सहूलियत रहे। 14 अक्टूबर 2022 को नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर मुहर लग चुकी है और दो मार्च को प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू ने अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियम के मुताबिक 13 अक्टूबर 2025 (तीन साल) तक प्रदेश में खरीदे गए वाहनों के रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट मिल रही है। वहीं, चौथे व पांचवें वर्ष 13 अक्टूबर 2027 तक प्रदेश में निर्मित व खरीदे ईवी का रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा।

धन लौटाने के लिए तैयार हो रहा पोर्टल सरकार की ओर से ईवी खरीदने वालों को 14 अक्टूबर 2022 से सब्सिडी व अन्य छूट दी जानी है। अपर आयुक्त परिवहन वीके सोनकिया ने बताया कि जिन खरीदारों ने तय अवधि के बाद पूरा धन देकर वाहन खरीदा है उन्हें धन वापस करने के लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। उसमें खरीदार फार्म भरेंगे और उसका परीक्षण कराने के बाद धनराशि खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

एक वर्ष इन ईवी खरीदारों को मिलेगी सब्सिडी

वाहन का नाम	कुल संख्या	सब्सिडी प्रति वाहन
दो पहिया	दो लाख	5000 रुपये
तीन पहिया	30 हजार	12 हजार रुपये
चार पहिया	25 हजार	एक लाख रुपये
ई-बसें (गैर सरकारी)	400	20 लाख रुपये
ई-गुड्स कैरियर	1000	एक लाख रुपये

2 मार्च 2024 तक प्रदान की जाएगी सुविधा, आटो के लिए 75 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी

- सरकार ने एक वर्ष में प्रोत्साहन के रूप में तय की वाहनों की संख्या
- वाहन खरीदने में पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स में भी शतप्रतिशत छूट

सब्सिडी मिलने की शर्तें

- व्यक्तिगत खरीदार को खरीद सब्सिडी केवल एक ही दो, तीन, चार पहिया, ई-बस या ई-गुड्स कैरियर खरीदने पर मिलेगी।
- योजना के तहत खरीद सब्सिडी किसी भी खरीदार को एक वर्ष में एक बार ही मिलेगी। उन्हें सब्सिडी प्रतिभूति के रूप में मिलेगी, डीलर से सत्यापन के बाद खरीदार को ट्रांसफर होगी।
- एग्रीगेटर्स या फ्लीट आपरेटर खरीदारों को दी सब्सिडी अधिकतम दस दो, तीन व चार पहिया की खरीद पर व पांच ई-बस व ई-गुड्स कैरियर पर मिलेगी।
- यदि किसी स्थिति में खरीदार बिना बैटरी के वाहन खरीदता है तो उस पर तय वाहन की खरीद सब्सिडी का केवल 50 प्रतिशत ही दिया जाएगा।

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी में कई रोड़े

नई दिल्ली : सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली के एलान के बीच ही निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी के लिए भी आवाज उठने लगी है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी से खजाने पर दबाव बढ़ जाएगा। फिलहाल न्यूनतम पेंशन को देने में ही सरकार को सालाना लगभग 9000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देनी पड़ती है। » 11